संरक्षा शाखा
सोलापुर मंडल

Safety Branch
Solapur Division

संरक्षा परिपत्र
Safety Circular
13/2018-19

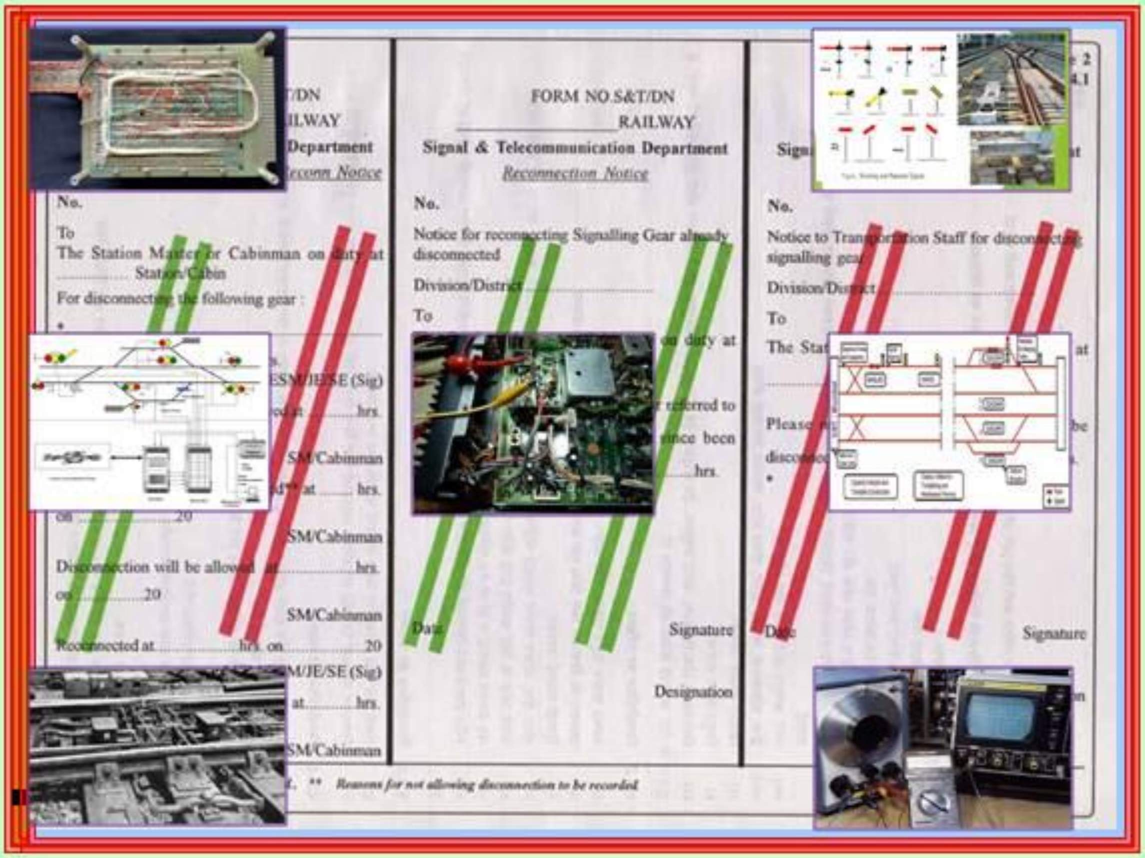

विषयः- सिगनल एवं दूर संचार गियरों के डिस्कनेकशन तथा रिकनेकशन संबंधी कार्य विधि

Sub:- Procedure for Disconnection and Reconnection of S&T Gears.

दिनांक Date 11.10.2018

मध्य रेल

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
संरक्षा शाखा, सोलापुर

सं.एस यू आर/एस एफ टी/ एस/103

दिनांक : 11.10. 2018

संरक्षा परिपत्र संख्या : 13 /2018-19

विषय :- सिगनल एवं दूर संचार गियरों के डिस्कनेक्शन तथा रिकनेक्शन संबंधी कार्यविधि.

संदर्भ :-दिनांक 22. 10.2012, एडवाईजर(सिगनल) **का अर्ध सरकारी पत्र संख्या 2012/सिग /सेफटी / परफॉरमन्स**

*****

(क) **भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी मैन्युअल (आई आर एस इ एम) (पार्ट II) की पैरा 11.4 में विहित पूर्वोपायों के अनुसार डिस्कनेक्शन नोटिस के अधीन ही सिगनल अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य किया जाना चाहिए.** सिगनल अनुरक्षण कर्मचारियों द्वारा डयूटीवाले स्टेशन मास्टर को डिस्कनेक्शन की आवश्यकता से संबंधित अवधि सूचित किया जाना चाहिए. सेक्शन कंट्रोलर के साथ परामर्श् से सेक्शन में गाड़ियों के प्रवाह पर निर्भर रहते हुए सामान्यत: एक घंटे तक की अवधि के लिए डिस्कनेक्शन डयूटीवाले सहायक स्टेशन मास्टर / उप स्टेशन प्रबंधक द्वारा दिया जाना चाहिए. यदि स्टेशन मास्टर द्वारा डिस्कनेक्शन नोटिस नहीं दिये जाने पर सिगनल एवं दूर संचार अनुरक्षण कर्मचारियों द्वारा डिस्कनेक्शन के लिए पुन: मांग करनी चाहिए और सेक्शन में गाड़ियों के यातायात के आधार पर कंट्रोल द्वारा अनुमति दिया जाए. अन्यथा सिगनल एवं दूर संचार कर्मचारियों को कंट्रोलर द्वारा उपलब्ध स्लॉट सूचित किया जाना चाहिए.

(ख) अत्याधिक आपात स्थितियों में दुर्घटना की रोकथाम के लिए सिगनल एवं दूर संचार गियरों के अनुरक्षण/मरम्मत के लिए अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर उसे वरिष्ठ मंडल सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर की अनुमोदन से स्थगित किया जा सकता है.

(ग) एक घंटे से अधिक अवधि के कार्य के लिए डिस्कनेक्शन की आवश्यकता हेतु वरिष्ठ मंडल सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, वरिष्ठ मडल इंजीनियर और वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर / टी आर डी द्वारा संयुक्त रुप से डिस्कनेक्शन शेडयूल पर हस्ताक्षर करते हुए जारी किया जाना चाहिए और सभी संबंधितों को सूचित करना चाहिए. आवधिक रुप से संयुक्त शेडयूल की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए.

(घ) एक दिन से अधिक अवधि के लिए संभाव्य डिस्कनेक्शन / अनुरक्षण बने रहने पर -

(i) अस्थायी कार्य संचालन अनुदेश जारी किया जाना चाहिए.

(ii) कार्यपर उपस्थित स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चत करने के लिए जिम्मेदार होगा कि सभी प्वाइंटों जिस पर से गाड़ी जाने वाली है, उन सभी प्वाइंटों को ठीक तरह से सेट किए गए हैं, फेसिंग प्वाइंटों को क्लैम्प एवं पैड लॉक लगाया गया है तथा ट्रेलिंग प्वाइंटों को ठीक तरह से सेट किए गए हैं तथापि मोटर संचालित प्वाइंटों की स्थिति में ट्रेलिंग प्वाइंटों को भी क्लैम्प करना चाहिए और पैड लॉक लगाना चाहिए.

(iii) अस्थायी कार्य संचालन अनुदेशों में दिए गए अनुसार सिगनल एवं दूर संचार कर्मचारी को केवल पीला संकेत दिए जाने हेतु सिगनलों के संकेत पर रोक लगाया जा सकता है. इसके पश्चात उपर्युक्त पैरा *(ii)* के अनुसार प्वाइंटों की सही सेटिंग एवं लॉकिंग सुनिश्चत करने के बाद ही स्टेशन मास्टर सिगनलों को ऑफ करेगा.

(iv) स्थल पर 15 कि.मी. प्रति घंटे का गति सूचक के साथ अस्थायी इंजीनियरी इंडिकेटर्स लगाया जा सकता है.

सभी को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त अनुदेशों का पालन करें और किसी भी परिस्थितियों में शॉर्टकट पध्दतियों का अवलंब न करें सिगनलिंग गियरों के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य के दौरान संरक्षा के स्तर में सुधार लाने हेतु आवश्यक स्त्रोतों और इनपुट सुनिश्चत किया जाएं.

वरि. मंडल संरक्षा अधिकारी
सोलापुर